

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 2 जुलाई 2015—आषाढ़ 11, शक 1937

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2015

क्र. 84(13)-वि. निर्वा.-चार-2015-उपचुनाव-348.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (43 सन् 1951) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में 227-गरोठ विधान सभा क्षेत्र से मध्यप्रदेश विधान सभा के रिक्त पद को भरने हेतु संपन्न हुए उप चुनाव के परिणाम की घोषणा प्ररूप 21-घ एवं 21-D जिसमें निर्वाचित अध्यर्थी का नाम अन्तर्विष्ट है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

एस. एस. बंसल, सचिव.

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 (घ)

(नियम 64 देखिए)

( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो )

लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा, मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 227 गरोठ विधान सभा के लिए,

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि—

श्री चन्द्रसिंह सिसौदिया पिता नाथुसिंह सिसौदिया (नाम) कोटड़ाखुर्द, पोस्ट-खारखेड़ा, तहसील गरोठ, जिला मंदसौर (पता) [जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गए हैं.]

उस सदन में,

श्री राजेश यादव की मृत्यु के कारण

श्री राजेश यादव का स्थान रिक्त हो जाने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्प्रयक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान—मंदसौर

हस्ता/-

दिनांक—30-6-2015

( श्रवण कुमार भण्डारी )  
रिटर्निंग आफिसर  
वि. क्षे. 227-गरोठ.

### **Counduct Of Elections Rules, 1961**

(Statutory Rules And Order)

FORM 21-D

(See Rule 64)

**(For use in election to fill a casual vacancy when seat is contested)**

Declaration of the result of election under Section 66 of representation of the People Act, 1951.

Election to the legislative assembly of Madhya Pradesh from the 227-Garoth constituency. In Pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951. read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961. I declare that.

Shree Chandarsingh Sisodiya S/o Nathusingh Sisodiya Kotda Khurd, Post Kharkheda, Tehsil Garoth, Distt. Mandsaur (Sponsored by Bharatiya Janata Party) has been duly elected to fill the vacancy caused in that house by the.

Death of Shree Rajesh Yadav

Seat of 227-Garoth Having been declared vacant.

Place—MANDSAUR

Sd/-

Date—30-06-2015

**(SHRAVAN KUMAR BHANDARI)**

Returning Officer

AC 227-GAROTH.